फा.सं.25-।(02)/2021-एएचडी/एआर

भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

(एआर अनुभाग)

****

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 23 फरवरी, 2021

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: मंत्रिमंडल के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग के संबंध में जनवरी, 2021 का मासिक सारांश।

अधोहस्ताक्षरी को पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा जनवरी, 2021 माह में की गई प्रमुख क्रियाकलापों, लिए गए निर्णयों तथा मंत्रिमंडल/मंत्रिमंडल समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की प्रगति से संबंधित मासिक सारांश सूचनार्थ इसके साथ परिचालित करने का निदेश हुआ है।

संलग्नक: यथोक्त

सर्बेस्वर माझी

(सर्बेस्वर माझी)
उप सचिव (जीसी/पीसी)
फोन: 23388534

सेवा में,

मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य

प्रतिलिपि:

1. प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव
2. राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
3. उपराष्ट्रपति के सचिव, 6, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली ।

4. प्रेस सूचना अधिकारी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
5. सचिव, मत्स्यपालन विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
6. सचिव, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
7. सचिव, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
8. सचिव, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली।
9. सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, जीवन दीप भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
10. सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली।
11. सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
12. सचिव, व्यय विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
13. सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
14. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
15. सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली।
16. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
17. सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
18. सलाहकार, कृषि, नीति आयोग, नीति भवन, नई दिल्ली।
19. संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1) माननीय मत्स्यपालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्री के निजी सचिव
2) सभी माननीय राज्य मंत्रियों के निजी सचिव (डीएएचडी)
3) एएस और एफए के प्रधान निजी सचिव
4) पशुपालन आयुक्त के प्रधान निजी सचिव
5) डीएएचडी के सभी संयुक्त सचिवों के प्रधान निजी सचिव
6) तकनीकी निदेशक, एनआईसी, डीएएचडी को संलग्न दस्तावेजों को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने के लिए।

फा.सं. 25-I(02)/2021-एएचडी/एआर
भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
****

जनवरी, 2021 माह के दौरान लिये गये महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां।

1. गोपशु और डेयरी विकास:

i. विभाग के दिनांक 07.01.2021 के पत्र के जरिए डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठन को सहायता (एसडीसीएफपीओ) योजना के तहत ''कार्यशील पूंजी ऋण संबंधी ब्याज सहायता'' घटक ख का मौजूदा परिव्यय 100 करोड़ रुपए है, जिसे वर्ष 2020-21 के लिए बढ़ाकर 203 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

ii. भारतीय मानकों (बीआईएस और एफएसएसएआई) को एकल मानक में मिलाने तथा साथ ही, दूध तथा दूध उत्पादों के लिए एकसमान गुणवत्ता लोगो तैयार करने के संबंध में बीआईएस, एफएसएसएआई और एनडीडीबी के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 13.01.2021 को सचिव, एएचडी और सचिव (उपभोक्ता मामले) की सह-अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक आयोजित की गई थी।

iii. सचिव (एएचडी) ने कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र की योजनाओं के सम्मिलन, आत्मनिर्भर भारत संबंधी घोषणाओं तथा विभिन्न मंत्रालयों के अग्रणी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में की गई प्रगति की समीक्षा करने के लिए दिनांक 28.01.2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री के सलाहकार की अध्यक्षता में आयोजित वर्चुअल बैठक में भाग लिया।

2. पशुधन स्वास्थ्य:

i. मणिपुर में सूअरों में अफ्रीकी स्वाइन फीवर (एएसएफ) की घटना की पुष्टि होने पर विभाग ने समय पर रोग के नियंत्रण और रोकथाम हेतु राज्य को राष्ट्रीय कार्य योजना के अनुसार सभी उपाय करने को कहा।

ii. उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा राज्यों में ग्लैंडर्स की घटना की पुष्टि होने पर विभाग ने रोग को और अधिक फैलने से रोकने के लिए राज्यों को स्वच्छता उपाय अपनाने, संक्रमित क्षेत्रों से इक्वाइन के आवागमन को मॉनिटर/प्रतिबंधित करने को कहा।

iii. केरल, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश राज्यों में पोल्ट्री/ बत्तखों में एवियन इन्फ्लूएंजा (एच5 और एच5एन8) प्रकोप की पुष्टि हुई थी। हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखण्ड, जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में कौवों/ प्रवासी पक्षियों में भी एवियन इन्फ्लूएंजा की पुष्टि हुई थी। इस संबंध में, इन राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध

किया गया था कि वे एवियन इन्फ्लूएंजा की रोकथाम, नियंत्रण और निवारण हेतु कार्य योजना के अनुसार समुचित कार्रवाई करें।

iv. सचिव, एएचडी ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ एवियन इन्फ्लूएंजा प्रकोप की समीक्षा की ।

v. विभाग ने सभी राज्यों को पोल्ट्री उत्पादों के सुरक्षित उपयोग तथा गैर-संक्रमित क्षेत्रों से लाए गए पोल्ट्री उत्पादों की सुरक्षित बिक्री के लिए एडवाइज़री जारी की।

vi. वीसीआई के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों के लिए चुनाव कराया गया था। साथ ही, सभी मान्यता प्राप्त पशुचिकित्सा कॉलेजों में अखिल भारतीय वीसीआई कोटा के तहत 15 प्रतिशत सीटों पर दाखिले के लिए काउंसलिंग आयोजित की गई थी।

vii. राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) के अंतर्गत जनवरी, 2020 के दौरान लगभग 0.88 करोड़ पशुओं के कानों को टैग किया गया था और लगभग 0.07 करोड़ पशुओं को एफएमडी का टीका लगाया गया था।

viii. टीका विनिर्माण की गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया का आकलन करने के लिए सभी तीन एफएमडी टीका विनिर्माताओं की सुविधाओं का दौरा करने के लिए पशुपालन आयुक्त की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था।

ix. सचिव, एएचडी ने पशु टीका तथा अनुसंधान एवं विकास हेतु विनियामक फ्रेमवर्क के संबंध में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की वर्चुअल बैठक में भाग लिया। साथ ही, सचिव, एएचडी ने रेगुलेटरी कम्पलाइंस बर्डन - नागरिक इंटरफेस के संबंध में मंत्रिमंडल सचिव की वर्चुअल बैठक में भाग लिया।

3. सोशल मीडिया कार्यकलाप:

महीने के दौरान, विभाग के ट्वीटर पेज को 39,900 फॉलोवर्स द्वारा हिट किया गया था। सोशल मीडिया कार्यकलापों के अंतर्गत 129 रचनात्मक पोस्ट किए गए, 1562 री-ट्वीट किए गए, 12 वीडियो और जीआईएफ बनाए गए। विभाग के फेसबुक पेज पर 1,23,115 फॉलोवर्स थे।

******